# मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रतापगढ़ जिले में भागवत कथा में हुए शामिल

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम करमाही पहुँचकर श्रीमदभागवत कथा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम करमाही में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में स्वामी राघवाचार्य के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के संगठन प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह उपस्थित थे। डॉ. यादव का डॉ. महेंद्र सिंह के पैतृक ग्राम करमाही में पुष्पहारों से आत्मीय स्वागत किया गया। भागवत कथा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश की पंचायत संस्थाओं के पदाधिकारी और श्रद्धालु जन नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से प्रयागराज में भी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने भेंट की।

# दीपावली का सांस्कृतिक के साथ आर्थिक महत्व भीः कृष्णा

भोपाल (काप्र)।

**पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि दीपावली पर्व का सांस्कृतिक के साथ आर्थिक महत्व भी है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर शुक्रवार को मध्यप्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के हिन्दी भवन में आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रही थीं।**

श्रीमती गौर ने कहा कि दीपावली पर्व का महत्व सांस्कृतिक के साथ आर्थिक भी है। धनतेरस से शुरू होने वाला 5 दिवसीय दीपावली पर्व सभी वर्गों को लाभान्वित करता है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिसे दीपावली पर आय नहीं होती है। मिट्टी के दिये, खिलौने, बताशे, मिठाई, नये वस्त्र आदि का भरपूर व्यवसाय मिलता है, जिससे आय होती है। यह आय बाजार में पहुँचती है और समाज की व्यवस्था को संतुलित करती है। उन्होंने कहा कि मिलन समारोह के अवसर पर समाज में उत्कृष्ट सेवाएँ देने वाले समाज-सेवियों का राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने सम्मान किया है। यह एक अच्छी परम्परा है। आने वाली पीढ़ियाँ उत्कृष्ट कार्य करने वालों से प्रेरणा

प्राप्त करेंगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन चुका है और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व, त्यौहार और मिलन समारोह परस्पर खुशियाँ बाँटने और विचारों को साझा करने के माध्यम होते हैं। हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है। दीपावली मिलन समारोह के अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्यौहारों का बहुत महत्व है। हमें अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन तत्परता से करना चाहिये। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष कैलाशचंद्र पंत ने स्वागत उद्बोधन दिया। ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉ. केशव सुंदरदास बुधवानी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, प्रतिष्ठित अधिवक्ता सुशील तापड़िया, लेखिका और समाज-सेविका श्रीमती श्यामा गुप्ता, व्यवसायी और समाज-सेवी सुनील जैन, गौ-सेवक प्रहलाद दास मंगल, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएँ देने वाली डॉ. ललिता त्रिपाठी और शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का सम्पादन कर रहीं डॉ. मंजुलता शुक्ल और व्यायाम एवं एलोवेरा, गिलोय आदि औषधियों का प्रचार-प्रसार कर रहे राधाकृष्ण गुरु को सम्मानित किया गया। डॉ. रंजना अरगड़े, डॉ. संजय सक्सेना, श्रीमती अनीता सक्सेना, श्री सुनील सक्सेना सहित बड़ी संख्या में नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गयीं।

# विद्यार्थियों में अनुशासन और टीम भावना विकसित करती है बैण्ड गतिविधियां

भोपाल (काप्र)।

**बैण्ड गतिविधियां, विद्यार्थियों में लयबध्द संगीत के साथ अनुशासन और टीम भावना विकसित करती है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहना चाहिए।**

इससे उनका समग्र रूप से विकास होता है। मध्यप्रदेश के स्कूलों ने राष्ट्रीय स्तर की बैण्ड प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर देश भर में अपने राज्य का नाम रौशन किया है। उन्होंने कहा कि बैण्ड गतिविधियों का अधिक से अधिक विद्यालयों में विस्तार किया जायेगा। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता केम्पियन स्कूल में राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने गुब्बारे उड़ाकर बैण्ड प्रतियोगिता के शुभारंभ की उद्घोषणा की। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के साथ साहित्यिक, गीत-संगीत, खेलकूद और योग से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। मैदान में उपस्थित दर्शकों ने प्रदेश के सभी से संभागों से शामिल हो रहे ब्रास बैंड और पाइप बैंड की 19 विजेता टीमों के सहभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संचालक लोक शिक्षण डी.एस. कुशवाहा भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में ब्रास बैंड और पाइप बैंड श्रेणियों की विजेता टीमों के द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की जायेगी।

राष्ट्रीय स्तर की विजेता और उप विजेता टीम को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से मध्यप्रदेश की बैण्ड टीम को गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता का अवसर मिल रहा है।

प्रदेश में इस वर्ष स्कूल बैण्ड प्रतियोगिता संभागीय स्तर और इसके बाद राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही है। वर्ष 2023 में वेस्टर्न जोन बैण्ड प्रतियोगिता का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश से बालिका ब्रास बैण्ड प्रतियोगिता में भोपाल के कार्मल कॉन्वेन्ट स्कूल बीएचईएल और मॉडल स्कूल टीटी नगर, बालक पाइप बैण्ड प्रतियोगिता में ओलम्पस स्कूल विदिशा, ब्रास बैण्ड बाल प्रतियोगिता में सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल इटारसी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था।

## बाँधवगढ़ से हाथियों के झुण्ड से भटका एक और हाथी शावक मिला

**भोपाल ( काप्र )।** उमरिया जिले के बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व से हाथियों के झुण्ड से बिछड़ कर एक और हाथी शावक बाँधवगढ़ के जंगल से दूर चंदिया एवं कटनी जिले के क्षेत्रों में चला गया था। बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम और वन्य-जीव चिकित्सकों की टीम ने उमरिया एवं कटनी वन मण्डल की टीम के साथ बुधवार को भटके हुए हाथी के शावक को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि रेस्क्यू किये गये हाथी के शावक के स्वास्थ्य एवं आहार का ध्यान रखा जा रहा है। वन्य-जीव चिकित्सकों एवं अधिकारियों द्वारा सतत् निगरानी भी की जा रही है।

अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर...

# तीन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने नोटिस जारी

भोपाल (काप्र)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न के वितरण या स्कंध संधारण करने वाले वेयर हाउस संचालकों एवं मिलर संचालकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के जारी निर्देश के अनुपालन में प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन ने तीन कंपनियों को गेहूं, चावल और धान उपार्जन के बाद संधारण में लापरवाही बरतने और टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमा राशि जब्त करने और तीन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि मेसर्स आर.बी. एसोसिएट्स भोपाल, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और मेसर्स ब्यूरो बेरिटास प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को नोटिस जारी किया गया है। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न जिलों में गेहूं, धान एवं चावल के भण्डारण में लापरवाही बरती गई। साथ ही अन्य अनियमिततायें भी की गईं। इन्हीं आधारों पर इन कम्पनियों द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबंध को टर्मिनेट कर ब्लैक-लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। संबंधित कम्पनियों द्वारा एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

**खाद्य मंत्री राजपूत के निर्देशों पर लगातार जारी है कार्रवाई**

## उप राष्ट्रपति 12 को उज्जैन आयेंगे,मुख्य सचिव ने की समीक्षा

**भोपाल ( काप्र )।** उप राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 12 नवम्बर को उज्जैन आयेंगे। उप राष्ट्रपति उज्जैन कालिदास समारोह में शामिल होंगे और भगवान श्रीमहाकाल मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उप राष्ट्रपति के उज्जैन आगमन को लेकर तैयारियों, कानून-व्यवस्था सहित सुरक्षा की शुक्रवार को समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

# कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन नहीं दहशतगर्दी चाहती हैः शर्मा

भोपाल (काप्र)।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर भाजपा के संकल्प को पूरा किया। धारा-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन है, घाटी विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब से कांग्रेस के समर्थन से जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तब से वहां देश विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने असंवैधानिक तरीके से जम्मू-कश्मीर में धारा 370 बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर राष्ट्र, संविधान और दलित विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन नहीं दहशतगर्दी चाहती है, नौजवानों को रोजगार नहीं पत्थरबाज और उपद्रवी बनाना चाहती है। कांग्रेस फिर से यह बताना चाहती है कि वह वाल्मीकियों, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जर समाज के खिलाफ है। आज पूरा देश जम्मू-कश्मीर सरकार के इस असंवैधानिक निर्णय और षड्यंत्र के खिलाफ है, इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि संविधान विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन करके क्या आप हमारे उन सफाईकर्मियों को जिंदगी भर वहीं सफाईकर्मी रखना चाहते हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद देश के खिलाफ नए-नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 बहाली का प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दलित, राष्ट्र और संविधान विरोधी एजेंडा दिखा दिया है। उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं चाहती कि यहां के युवा रोजगार से जुड़े, घाटी विकास की मुख्यधारा से जुड़े। कांग्रेस को अमन-चैन नहीं चाहिए, तिरंगा जलाओ, देश का अपमान करो, यही कांग्रेस का असली चरित्र है।

## रशिया की राजयोगिनी संतोष दीदी का आज भोपाल आगमन

**भोपाल।** रशिया से प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शिका राजयोगिनी संतोष दीदी का कल भोपाल आगमन हो रहा है। उन्होंने ब्रह्माकुमारीज़ संस्था की रशिया सहित विभिन्न देशों में आध्यात्मिक संदेश फैलाते हुए लाखों लोगों को सकारात्मकता और शांति की राह दिखाई है। भोपाल में पहली बार संतोष दीदी ईश्वरीय गुप्त योजना विषय पर एक विशेष वक्तव्य देने पहुंच रही हैं। नियमित रूप से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम ब्रह्माकुमारीज के भोपाल जोन के क्षेत्रीय मुख्यालय राजयोग भवन में 9 नवंबर को रहेगा, वहीं 10 नवंबर को स्थानीय शाखा सुख शांति भवन नीलबड़ क्षेत्र में कार्यक्रम रहेगा तथा 11 एवं 12 तारीख को आचारपुरा स्थित प्रभु उपवन एवं होशंगाबाद रोड स्थित ब्लेसिंग हाउस में भी कार्यक्रम किया जाएगा। चार दिन दीदी अपने भारत प्रवास के दौरान इन कार्यक्रमों में विशेष वक्तव्य में गुप्त रूप से चल रही ईश्वरीय योजनाओं की गहराइयों को समझने का अवसर मिलेगा।

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक-585/ए मण्डल द्वारा श्री अहमद अली आत्मज श्री गुलाम अली के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 22/08/2000 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 17/03/2023 को पंजीकृत है। श्री अहमद अली आत्मज श्री गुलाम अली द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री अबिजर आत्मज श्री मोहम्मद हुसैन को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 21/03/2023 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्री अबिजर आत्मज श्री मोहम्मद हुसैन के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी / संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

2461

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक एम. आई. जी.-77/ए मण्डल द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता आत्मज श्री दाना लाल गुप्ता के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 25/01/1999 को पंजीकृत है। श्री अशोक कुमार गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 01/02/2021 को हो गया है। आवेदक आवंटी की पत्नी, पुत्र, पुत्री (1) श्रीमती माया गुप्ता पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार गुप्ता (2) श्री अमित गुप्ता आत्मज स्व. श्री अशोक कुमार गुप्ता (3) सुश्री मानसी गुप्ता पुत्री स्व. श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

2460

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नेहरू नगर, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक-एस / 93 मण्डल द्वारा (1) श्री सुरेश कुमार वर्मा आत्मज स्व. श्री महादेव प्रसाद वर्मा (2) श्री दिनेश कुमार वर्मा आत्मज स्व. श्री महादेव प्रसाद वर्मा के नामों पर नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 28/06/1992 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 27/11/2015 को पंजीकृत है। उक्त सम्पत्ति की लीज समयावधि दिनांक 30/04/2041 तक वैध है। इनमें से श्री सुरेश वर्मा का स्वर्गवास दिनांक 20.09.2021 को हो गया है। आवेदक श्रीमती ममता वर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश वर्मा द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में से स्व. श्री सुरेश कुमार वर्मा का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर श्री दिनेश कुमार वर्मा के साथ श्रीमती ममता वर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश वर्मा का नाम संयुक्त कर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

2459

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में स्थित फ्लेट क्रमांक एल. एफ.-93 द्वितीय तल मण्डल द्वारा श्री अभिषेक तिवारी आत्मज श्री कमलनयन तिवारी के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 14/02/2013 को पंजीकृत है। श्री अभिषेक तिवारी आत्मज श्री कमलनयन तिवारी द्वारा उक्त सम्पत्ति (1) सुश्री आरती यादव पुत्री श्री जसवंत सिंह यादव (2) श्रीमती पूजा दरयानी पत्नी श्री अमित दरयानी को विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 17/5/2024 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/ विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र एवं विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति (1) सुश्री आरती यादव पुत्री श्री जसवंत सिंह यादव (2) श्रीमती पूजा दरयानी पत्नी श्री अमित दरयानी के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति का हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

**सम्पदा अधिकारी**
**म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल**

2458

**न्यायालय तहसीलदार,नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल**

(पुराना जिला पंचायत भवन,जिला भोपाल)
राजस्व प्र. क्र. 1656/अ-6/24-25
दिनांक 7/11/24

**इश्तहार**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती दीक्षा माखीजा पिता/पति प्रखर भरद्वाज निवासी शहर भोपाल द्वारा ग्राम नेवरी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 111/1/1 रकबा 1500 हेक्टेयर/एकड/ वर्गमीटर /वर्गफिट भूमि का नामांतरण / बटवारा /बटान/ सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस के भीतर स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बीत जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 7/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पद मुद्रा से जारी किया गया।

सील **न्यायालय तहसीलदार**
**नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल**

2457

**कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एमपी नगर भोपाल**

**07 नंबर बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल**
**क्र. / रा.नि.वृ./../2023-24**
**भोपाल दि. 8/11/24**

**सूचना पत्र**

**प्रति,** नाम करमजीत कौर पिता रछपाल सिंह, दिलीप गुप्ता, संजय सक्सेना, गीता यादव, **विषय**:-भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत्। **संदर्भ**:- प्रकरण क्रमांक 0159/अ-12/24-25 के पालन में। विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्री/श्रीमती अंजना सक्सेना पिता/पति संजय सक्सेना निवासी 112 मिनाल द्वारा ग्राम खजुरी कलां की भूमि खसरा क्र. 460/13,901/458 रकबा 0.121 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 18/11/24 को समय बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पाल में किया जाना है। आपको आवेदक एवं पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**:- अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता। दिनांक 8/11/24

सील **न्यायालय तहसीलदार**
**नजूल वृत्त एमपी नगर भोपाल**

2456

**न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील कोलार, जिला भोपाल**

प्र.क्र.1938/अ-6/2024-25

**उद्घोषणा पत्र**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक कुलदीप पाठक आत्मज कमलकान्त निवासी म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 के भोपाल अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय क्र./वसीयत/दान दिनांक ग्राम मिसरोद प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 112/2/1/1 112/2/1/2 पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 53 रकबा 91.50 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है। 2. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 14/11/2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक / / 2024 को जारी किया गया।

सील **नायब तहसीलदार**
**तहसील कोलार भोपाल**

2455

**न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल**

प्र. क्र.-4996/अ-6/सन-2024-25
मौजा- नीलबड़ तहसील हुजूर, भोपाल

**उद्घोषणा पत्र**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक श्रीमती राजकुमारी साहू पत्नी श्री रामाशंकर साहू निवासी झुग्गी नं. 14 हर्षवर्धन नगर भोपाल म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी.-2404 दिनांक 04.11.2014 के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम नीलबड़ प.ह.न. ..तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 87/2/1 नये खसरे 564/ 474, 567/ 489, 476, 489 कुल रकब 6. 56 हे. में से 600 वर्गफिट भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखो में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 22.11.2024 को या इस से इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 08.11.2024 जारी किया गया।

2454 **तहसीलदार**
**तहसील-हुजूर, भोपाल**